FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

ताजाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगैरा

किस्म मुकदमा नामान्तरण आवेदन नं. 59 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/19 को पेश हो।	
20/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलत्वा होकर आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो।	
10/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। बावजूद तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधि-	

Scanned by CamScanner

वक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के मेड़ स्थापित करवाना आव-श्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेड़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेड़बन्दी मौके पर कुल्ड जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
10.4.2019

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 163 दिनांकः– 10/4/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ताजाराम पुत्र अचलाराम वगैरा 4 जाति जाट निवासी सुथारों की ढाणी, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर		1. लुम्बाराम पुत्र दूदाराम जाति जाट वगैरा 23 निवासी सुथारों की ढाणी, बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 59/19

आदेश

मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा संख्या 172/32, 174/32 कुल रकबा 23–05 बीघा व मौजा खवालीया नाडा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 335/45 रकबा 08–11 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

10.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 164–168 दिनांकः– 10/4/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री ताजाराम पुत्र अचलाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण लुम्बाराम पुत्र श्री दूदाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner